यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी** के माह **नवम्बर 2017 से अक्टूबर 2020** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री संजीव कुमार एवं श्री राजेश डोभाल ,सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों एवं श्री अरुण कुमार शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (त) द्वारा दिनांक **04/11/2020 से 12/11/2020** तक श्री अनिल कुमार जैन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आर.एन.यादव, श्री डी.के. मट्टू एवं श्री राजेश डोभाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 01/11/2017 से 08/11/2017 तक में सम्पादित की गई थी एवं उक्त लेखापरीक्षा में माह दिसम्बर 2017 से दिसम्बर 2019 तक के लेखा अभिलेखों की सामान्यतःजांच की गई थी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार:**

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी** के द्वारा सड़क निर्माण एवं पुल निर्माण कार्य निष्पादित किये जाते है ।भौगोलिक अधिकार क्षेत्र जनपद टिहरी गढ़वाल प्रतापनगर क्षेत्र के अन्तर्गत डोबरा-चॉटी भारी वाहन सेतु का कार्य है।

(ii) बजट

लेखा परीक्षा अवधि में योजनावार बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

रुपयें लाख में

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य/व्यय	
	स्थापना	गैरस्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना	गैर स्थापना
2017-18	-	117.48	217.98	205.46	4320.31	4328.29	12.52	109.50
2018-19	-	100.25	253.01	249.60	1128.00	1127.98	3.41	100.27
2019-20	-	100.25	17.93	13.89	3497.55	3495.79	4.04	102.01
2020-21 (10/2020 तक)		100.25	10.19	5.32	370.00	110.35	4.87	359.9

(iii) इकाई को बजट आवंटन एव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई "**B**"श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

मुख्य अभियन्ता

अधीक्षण अभियन्ता

अधिशासी अभियनता

सहायक अभियन्ता

अपर सहायक अभियन्ता

कनिष्ठ अभियन्ता

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखा परीक्षा द्वारा सर्वाधिक व्यय के आधार पर विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु माह दिसम्बर-2017 एवं दिसम्बर-2019 का चयन किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 , लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन-2017 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा खंड का विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में **शून्य** निरीक्षण किया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखा बन्दी क्रमशः माह 09/2020 तथा 09/2020 तक की गई।

5. फार्म 51: माह मार्च 2019 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय केअवशेष निम्नवत हैः-
भाग प्रथम- रु. (-) 464794.00
भाग द्वितीय- रु. शून्य

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह अक्तूबर 2019 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण अग्रिम-रु. 9,91,435.00

(ख) सामग्री क्रय-रु. शून्य

(ग) नगद परिशोधन-रु. शून्य

(घ) निक्षेप-रु. 80,27,449.35

(ङ) भण्डार- रु. 4,14,915.00

भाग-II (अ)

प्रस्तर 1: अनुबंध की शर्तो के विपरीत ठेकेदार पर ₹ 13.50 करोड़ का अर्थदंड न लगा कर अनुचित लाभ दिया जाना।

Construction of remaining Work of 440+25 meter Span Heavy Metro Vehicle Class 18 R Two lane Loading Dobra Chanthi Suspension Bridge Over Tehri Dam reservoir with 5 Year maintenance work हेतु ₹ 149.95 करोड़ की वित्तीय एवं प्रषासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी (10/2015)। कार्य की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी द्वारा समान धनराषि की प्रदान की गई थी (12/2015)। कार्य हेतु एक अनुबंध संख्या 15/SE -8/2015-16 दिनांक 25.01.2016 गठित किया गया था, जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की तिथि क्रमषः 12.12.2016 तथा 11.08.2017 थी। कार्य लेखा परीक्षा तिथि तक पूर्ण नहीं था।

अनुबंध की शर्त के GCC 1.1(u)अनुसार The intended Completion date for the whole of the Works shall be (18) months from the start date with the following milestones.

Milestone Financial target*of Works to be completed

Period from the date of start of work

Milestone1	15%	1/3 of intended completion period
Milestone2	50%	
Milestone3	100%	2/3 of intended completion period
		Full intended completion period

*Financial progress shall be assessed as per the latest interim payment certificate (IPC) duly verified by ENGINEER. Financial Targets are exclusive of mobilization advance payment.

**Intended completion period shall be the period be the period between the start date and intended completion date.

आगे, अनुबंध की शर्त GCC 46.1 (Liquidated Damages) के अनुसार- the Contractor shall pay liquidated damages to the Employer at the rate per day stated in the PCC for each day that be Completion date is later than the Intended Completion Date. The total amount of liquidated damages shall not exceed from payments due to the Contractor. Payment of liquidated damages shall not affect the Contractor's liabilities.

आगे GCC 46.2 के अनुसार- If the Intended Completion Date is extended after liquidated Damages have been paid, the Engineer shall correct any overpayment of liquidated damages by the Contractor by adjusting the next payment certificate.

The liquidated damages will be milestone wise. If the contractor fails to achieve milestone as specified in 1.1(u), liquidity damage of (1/2000)th per day of the remaining amount of work not done under threshold in this particular milestone.
The maximum amount of liquidated damages for the whole of the works is 10% of the Initial Contract Price.
अधिशाषी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग नयी टिहरी के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि ठेकेदार द्वारा कार्य हेतु गठित अनुबंध की शर्तो निर्धारित किसी भी माइलस्टोन की समयसीमा के अनुसार निर्धारित कार्य पूर्ण नहीं किया गया था, परिणाम स्वरुप ठेकेदार के बिलों से liquidated damage के रूप में कटौती की जानी चाहिए थी तथा किसी भी माइलस्टोन के सापेक्ष कार्य निर्धारित मात्रा एवं समयपूर्वक पूर्ण न होने कारण अनुबंध की शर्तो के अनुसार ही अनुबंध की राशि का अधिकतम दस प्रतिशत liquidated damage के रूप में आर्थिक दंड ₹ 13.50 करोड़ लगाना चाहिए था जो की नही लगाया गया था। इस प्रकार ठेकेदार पर नियमानुसार पेनल्टी ना लगा कर ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया।
आगे अभिलेखों की जांच से यह भी ज्ञात हुआ कि ठेकेदार के साथ हुए विवाद के सापेक्ष ठेकेदार द्वारा किये गए दावे के विरुद्ध खंड एवं खंड के कंसलटेंट की ओर से दिए गए जवाब में खंड/विभाग द्वारा स्वतः ही स्वीकार किया है कि ठेकेदार द्वारा अनुबंध की शर्तो में उल्लेखित किसी भी माइलस्टोन के सापेक्ष निर्धारित समयसीमा के अनुसार कार्य को पूरा नहीं किया गया था।
अतः स्पष्ट है कि खंड द्वारा ठेकेदार के बिलों के सापेक्ष liquidated damage के रूप में कटौती की जानी चाहिए थी तथा अनुबंध की शर्तो के अनुसार liquidated damage के रूप में अनुबंधित राशि का अधिकतम दस प्रतिशत आर्थिक दंड ₹ 13.50 करोड़ लगाना चाहिए था।
प्रकरण इंगित किये जाने पर खंड द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ो की पुष्टि करते हुए उत्तर में बताया कि ठेकेदार को 31.03.2020 तक समय वृद्धि स्वीकृत है, उचित कारण होने के कारण बिना अर्थदंड समय वृद्धि संस्तुति की गयी। आगे बताया कि सेतु निर्माण के प्रथम एक्टिविटी टावर रेट्रो फिट कार्य तीन माह में पूर्ण किया जाना लक्षित था जिसके पश्चात पुल जोड़े जाने सम्बन्धी अन्य गतिविधियाँ की जानी थी टावर पर विभिन्न तकनीकि एवं सुरक्षा मानको के कारण इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन engineer व consultant द्वारा नए कार्य व डिजाईन संसोधन किये गए साथ ही पुल निर्माण की गतिविधियों में भी विलम्ब हुआ इस कारण l. D कटौती नही की गयी। आगे बताया पुल निर्माण के intial कार्य टावर रेट्रो फिट में डिजाईन व सुरक्षा कारणों से अत्यधिक समय लगने, ठेकेदार को निर्गत विभागीय वायर ropes को जांचोपरांत suspender हेतु पुनः निर्मित किया जाना एवं उक्त कारणों से सेतु निर्माण की अन्य चरणबद्ध गतिविधियों में विलम्ब हुआ जिस हेतु ठेकेदार के दोषी न होने से पेनल्टी नहीं लगाई गयी
खंड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि:-

- कार्य समाप्ति की अनुबंधित तिथि 24 -7-17 से लेखा परीक्षा तिथि तक 3 वर्ष 2 माह अधिक बीत जाने के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं था **(खंड द्वारा कार्य पूर्ण होने सम्बन्धी अपने उत्तर के पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है)**
- ठेकेदार द्वारा समय वृद्धि हेतु प्रार्थना पत्र में जो भी कारण दिए गए उनमे अधिकतर वाही कार्य करने सम्बन्धी कारण दिए जो items कार्य का हिस्सा थे। अन्य कारण भी औचित्यपूर्ण नहीं थे।

- कार्य की प्रगति धीमी होने के कारण खंड के कंसलटेंट एवं अधिशासी अभियंता द्वारा अपने पत्रों के माध्यम से कार्य की गति बढाने हेतु बार बार चेतावनी दी गयी।
- खंड/विभाग द्वारा स्वतः ही स्वीकार किया है कि ठेकेदार द्वारा अनुबंध की शर्तो में उल्लेखित किसी भी माइलस्टोन के सापेक्ष निर्धारित समयसीमा में निर्धारित कार्य को पूरा नहीं किया गया था।

अतः ठेकेदार पर नियमानुसार ₹ 13.50 करोड़ की पेनाल्टी न लगा कर ठेकेदार को अनुचित लाभ दिये जाने सम्बन्धी प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है

भाग-II (अ)

प्रस्तर 2: ₹ 18.09 करोड़ की सामग्री का लगभग विगत 12 वर्षो से उपयोग न होने के कारण निष्प्रयोज्य हो जाने पर शासकीय हानि।

अभिलेखों कि जाँच में पाया गया कि **डोबरा चांठी (Suspension Bridge**) **भारी वाहन** सेतु के निर्माण हेतु वर्श 2006 में प्रदान की गयी वित्तीय एवं प्रषासनिक स्वीकृति के सापेक्ष पुल में प्रयोग किये जाने हेतु विभिन्न सामग्री खरीदी गई थी। आगे जांच में पाया गया कि इस सामग्री में से ₹ **18.09** करोड़ की सामग्री वर्तमान तक लगभग 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी अवषेश पड़ी थी । जिसे पुल के design में बदलाव हो जाने के कारण पुल के कार्यो में प्रयोग नहीं किया जा सका था। सामग्री का प्रयोग न होने के कारण यह सामग्री खण्ड के पास निश्प्रयोज्य पड़ी थी। खंड द्वारा विभिन्न खंडो को भी पत्र लिखा गया लेखिन अन्यत्र भी इस सामग्री की आवश्यकता ना होने की कारण इस सामग्री का प्रयोग नही हो सका था।
खंड द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ो की पुष्टि करते हुए उत्तर में बताया कि पुल के नए डिजाईन के अनुसार उक्त सामग्री की आवश्यकता न होने से सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया। आगे बताया कि आवश्यक गुणवत्ता परीक्षण पश्चात सामग्री को उपयोग किया जा सकता है
उल्लेखनीय है की समय बीतने के साथ इस सामग्री का क्षरण हो रहा है 12 वर्शो के बीतने पर क्षरण (decay) होने के कारण सामग्री की क्षमता समाप्त/घट गई है, एवं सामग्री निस्प्रयोज्य की श्रेणी में आ गई है। अब इस सामग्री का निर्माण कार्यो में प्रयोग किया जाना उचित नहीं होगा।

इस प्रकार **₹ 18.09 करोड़ की सामग्री** का लगभग 12 वर्षो के बाद भी प्रयोग ना हो पाने से **धनराशी अवरुद्ध** रही है साथ ही सामग्री के क्षरण के कारण निष्प्रयोज्य होने से षासन को हानि हुयी है।
प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है

भाग-II (ब)

प्रस्तर 1: अनुबंध की शर्तो के विपरीतकार्य का बीमा न करवा कर ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया जाना।

Construction of remaining Work of 440+25 meter Span Heavy Metro Vehicle Class 18 R Two lane Loading Dobra Chanthi Suspension Bridge Over Tehri Dam reservoir with 5 Year maintenance work हेतु 149.95 करोड़ की वित्तीय एवं प्रषासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी (10/2015)। कार्य की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी द्वारा समान धनराषि की प्रदान की गई थी (12/2015)। कार्य हेतु एक अनुबंध सौन्या 15/SE -8/2015-16 दिनांक 25.01.2016 गठित किया गया था, जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की तिथि क्रमषः 12.12.2016 तथा 11.08.2017 थी। कार्य लेखा परीक्षा तिथि तक पूर्ण नहीं था।

कार्य के अनुबन्ध की Clause 13 (13.1 Insurance) के अनुसार - The Contractor shall provide, in the joint names of the Employer and the Contractor, insurance cover from the Start Date to the end of the defects Liability Period, in the amounts and deductibles started in the PCC for the following events which are due to the Contractor's risks:

(a) loss of or damage to the Works, Plant and Materials

(b) loss of or damage to Equipment

(c)loss of or damage to property (except the works, plant, material and Equipment) in connection with the Contract and

(d) personal injury or death

13.2 Policies and certificates for insurance shall be delivered by the Contractor to the Engineer for the Engineer for the Engineer's approval before the Start Date. All such insurance shall provide for compensation to rectify the loss or damage incurred.

13.3-If the Contractor does not provide any of the policies and certificates required, the Employer may effect the insurance which the Contractor should have provided and recover the premiums the Employer has paid from payments otherwise due to the Contractor or, if no payment is due, the payment of the premiums shall be a debt due.

13.4-Alterations to the terms of an insurance shall not be made without the approval of the Engineer.

13.5 Both parties shall comply with any conditions of the insurance policies.

अनुबंध की उक्त शर्तो के अनुसार कार्य का बीमा किया जाना अनिवार्य था।

आगे, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा भी निर्देशित किया गया था कि अनुबंध की क्लॉज़ 13 का कड़ाई से पालन किया जाए ओर कार्य के सापेक्ष बीमा अवश्य करवाया जाए

कार्य के बीमा सम्बन्धी अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कार्य के बीमा की अवधि (Validity) 11.10.2020 को समाप्त हो चुकी थी, जबकि वर्तमान तक कार्य पूर्ण नहीं था। आगे जांच में यह भी पाया गया कि जो बीमा पोलिसी 11.10.2020 को समाप्त हो गई थी जबकि कार्य पर अनुबंध ₹ 135. 50 करोड़ के सापेक्ष कार्य पर 113.30 करोड़ व्यय हो चुका था। आगे जांच में यह भी पाया गया कि कार्य का बीमा की Validity तो पूर्व मे ही समाप्त हो चुकी थी, जिसे 2-2 माह करके बढ़ाया जा रहा था 11.10.2020 को समाप्त हो गई थी

उल्लेखनीय है कि बीमा खंड एवं ठेकेदार दोनों कि जिम्मेदारी थे यदि ठेकेदार बीमा नहीं कराता तो खंड को कराना था ओर ठेकेदार से बीमा की किस्तों की राशि को वसूल किया जाना था

स्पष्ट था कि खंड द्वारा अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन तो किया ही गया साथ ही अपने उच्चाधिकारियों के आदेशो की अवहेलना की गयी ओर इसके साथ ही ठेकेदार से कार्य का बीमा न करवाकर ठेकेदार को बीमा की किस्ते न देनी पड़े ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया

प्रकरण इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर में बताया गया कि अनुबंध गठन के समय अनुबंध अवधि तक बीमा कराया गया अनुबंध की अवधि बढ़ने तक बीमा को समय समय पर विस्तारित किया गया कार्य दिनांक 30-9-20 को पूर्ण होने के पश्चात defect liability अवधि तक बीमा विस्तृत हेतु ठेकेदार को पत्र लिखा गया है कार्य का बीमा 170 करोड़ का बीमा यूनाइटेड इंडिया इन्सुरांस कंपनी द्वारा किया गया है

खण्ड का उत्तर से लेखा परीक्षा की आपति की पुष्टि स्वतः ही हो जाती है। आगे , कार्य का बीमा कार्य की Defect liability Period तक किया जाना अनिवार्य था। उत्तराखण्ड राज्य में वर्श 2013 में आयी आपदा का ध्यान में रखते हुए कार्य का बीमा अनिवार्य था। कार्य का बीमा कराये जाने की जिम्मेदारी खंड की एवं ठेकेदार दोनों की थी। ठेकेदार को किस्ते न चुकानी पड़े इस लिये बीमा को आगे विस्तारित नहीं कराया गया था

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर 2: ₹ 9.80 लाख रॉयल्टी की वसूली नहीं किया जाना।

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 के नियम-5 में अभिवहन पास जारी किये जाने का प्रावधान है। इस नियम के उप नियम (2) में खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्तिधारी, भण्डार से विधिपूर्ण परिवहन के लिए प्रपत्र-जे में अभिवहन जारी करने का प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत खनिजों के अभिवहन हेतु प्रपत्र एम0एम0-11 एवं प्रपत्र-जे मैनुअल विधि से जारी किये जाने का प्रावधान है।

उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 1578/VII-I/158- ख/04 टी0सी0-I। दिनांक 30 सितम्बर 2016 के अनुसार खनिजों के विधिपूर्ण अभिवहन/परिवहन हेतु e-form "MM-11" तथा e-form –"J" का निर्धारण किया गया है।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 संख्या 842/VII-I/2016/24-ख/2007 दिनांक 19 मई 2016 की अधिसूचना द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली-2016 की प्रथम अनुसूची स्वामित्व (रायल्टी) की दर (नियम-21) के क्रमांक-8 में विहित प्रयोजनों लिए प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो, की रायल्टी की दर को रू0 187 प्रतिघनमीटर (गौला नदी), रू0 176 प्रतिघनमीटर (कोसी, दाबका नदी), एवं रू0 154 प्रतिघनमीटर (हरिद्वार एवं अन्य स्थान) के अनुसार संशोधन किया गया है परन्तु **उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 संख्या 211/VII-I/24-ख/2007 देहरादून दिनांक 26 फरवरी 2016 की अधिसूचना द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली-2016 की प्रथम अनुसूची स्वामित्व (रायल्टी) की दर (नियम-21) के क्रमाक-06 में नदी तल से भिन्न स्थानों से प्राप्त खण्डास/बौल्डर्स/बजरी/मिट्टी/बैलास्ट सिंगल/पहाड़ो के क्षरण से उत्पन्न मोरम/बालू/मिट्टी की रायल्टी की दर रू0 194.50 प्रतिघनमीटर वर्तमान तक लागू चल रही है।**

उत्तराखण्ड उपखाि◌नज परिहार नियमावली, 2005 के अध्याय-1 के बिन्दु-03 प्रतिषेध धारा 23ग(1)"कोई भी व्यक्ति, खनन पट्टाधारक या खनन अनुज्ञा पत्र धारक का पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी अभिवहन पास के बिना किसी खनिज का उसके खनन किये जाने के स्थान से किसी अन्य स्थान पर न परिवहन करेगा न उसे ले जायेगा अथवा न परिवहन करवायेगा और ना ले जाने का कार्य करवायेगा।

उत्तराखण्ड अवैध खनन परिवहन का भण्डारण का निवारण, 2005 (समय समय पर यथसंषोधित) के नियम 13(2)(ख) के अनुसार अवैध भण्डारणकर्ता/अवैध परिवहनकर्ता/अवैध खननकर्ता से अर्थदण्ड की धनराषि रू0 2,00,000/- तक एवं खनिज की मात्रा का विक्रय मूल्य रायल्टी का 05 गुना तक आंगणित कर वसूली की जायेगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नयी टिहरी के अभिलेखों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि डोबरा-चॉटी सेतु निर्माण कार्य में उपयोग किए गए उप खनिजो, जिनके स्रोत का खंड को

पता नहीं था कि ठेकेदार इन उप खनिजो को किस स्थान से लाया है, ंके सापेक्ष ठेकेदारों के बिलों से रू0 110/- प्रतिघनमीटर की दर से रायल्टी कटौती की गयी थी। उल्लेखनीय है कि उपवर्णित शासनादेश के अनुसार रायल्टी की दरें फार्म "MM-11" तथा एवं फार्म –"J" के सापेक्ष लागू है। खनिजों का अभिवहन/परिवहन बगैर फार्म "MM-11" तथा एवं फार्म –"J" के गैर विधिक है। ऐसे में ठेकेदारों, जिनके पास फार्म "MM-11" तथा एवं फार्म –"J" उपलब्ध नहीं है, से उनके बिलों से निर्माण कार्य में उपयोग की गयी उपखनिजों पर जो रायल्टी काटी जानी है, वह गैर विधिक अभिवहन/परिवहन के परिपेक्ष्य में काटी जानी चाहिए। अतः रायल्टी(राजस्व) जो सरकार का राजस्व है, की पूर्ण रक्षा करते हुए रायल्टी की दर जो रू0 194.50 प्रतिघनमीटर है की दर से कटौती की जानी चाहिए तथा साथ ही उपरोक्त नियमानुसार अर्थदण्ड के रूप में रायल्टी की राशि का का 05 गुना तक आंगणित कर वसूली की जानी चाहिए। यह भी उल्लेखनीय है, कि सरकार के राजस्व (रायल्टी) की सुरक्षा का दायित्व foHkkx@[k.Mका है।

इस प्रकार ठेकेदार द्वारा लाये गए उप खनिजो जो कि बिना रवन्ना अथवा बगैर फार्म "MM-11" तथा एवं फार्म –"J" के लाये गए है के सापेक्ष **संलग्न विवरणनुसार** ₹ 194.50 प्रति धनमीटर की दर से कटौती करते हुए तथा अर्थदण्ड के रूप रायल्टी की राशि का का 05 गुना तक आंगणित कर प्लस ₹ 2,00,000/- और इस प्रकार अन्तरीय राशि कुल ₹ 9.80 लाख रॉयल्टी तथा ₹ 50.96 लाख अर्थदण्ड की वसूली की जानी चाहिए थी जो की नहीं की गयी थीं।

प्रकरण इंगित किये जाने पर खण्ड ने अपने उत्तर में बताया कि देयक भुगतान अवधी में प्रस्तुत साक्ष्य की मात्राओं पर रॉयल्टी कटौती नहीं की गयी, शेष मात्राओं पर रॉयल्टी कटौती जिलाधिकारी टिहरी के पत्रांक दिनांक 22-8-17 के अनुसार ₹ 110/- प्रति धनमीटर की दर से रॉयल्टी की कटौती की गयी है। आगे, देयक भुगतान अवधी में ठेकेदार द्वारा फॉर्म J प्रस्तुत ना करने पर निर्धारित रॉयल्टी काट लिए जाने के कारण अर्थदंड नहीं लगाया गया है। आगे खंड द्वारा अपने उत्तर में स्वीकार किया गया कि कार्य में प्रयुक्त किये गए उप खनिजो जो ठेकेदार द्वारा लाये गए है के स्रोत की जानकारी खंड के पास नहीं है ओर ठेकेदार ये उप खनिज कहाँ से लाये है नहीं है न ही इस सम्बन्ध में कोई अभिलेख खंड में उपलब्ध है।

स्पष्ट है खंड को उप खनिजो के स्रोत की जानकारी न होने के कारण कार्य में प्रयुक्त इन उप् खनिजो के सापेक्ष ठेकेदार से उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 संख्या 211/VII-I/24-ख/2007 देहरादून दिनांक 26 फरवरी 2016 की अधिसूचना द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली-2016 की प्रथम अनुसूची स्वामित्व (रायल्टी) की दर (नियम-21) के क्रमाक-06 के अनुसार ₹ 194.50 प्रति धनमीटर की दर से कटौती की जानी चाहिए एवं चूँकि उप खनिजो को बिना रवन्ना अथवा बगैर फार्म "MM-11" तथा एवं फार्म –"J" के लाया गया है तो ठेकेदार से अर्थदण्ड की धनराषि रू0 2,00,000/- तक एवं खनिज की मात्रा का विक्रय मूल्य रायल्टी का 05 गुना तक आंगणित कर वसूली भी की जानी चाहिए थी।

अतः अन्तरीय राशि ₹ 9.80 लाख रॉयल्टी तथा ₹ 50.96 लाख अर्थदण्ड की वसूली नहीं किया जाना संबंधी प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

खण्ड का नाम - निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नई टिहरी

कार्य का नाम – दोबरा चांठी सेतु के अवशेष कार्यो का निर्माण कार्य

Royalty calculation

S.L.	Bill No.	Stone/ Quantity	StoneGrit/Ballast/Quantity				Total
			10mm	20mm	40mm	Below 10mm	
1	1	127.50	85.72	152.54			365.76
2	2	94.93	60.00	81.19			236.12
3	3		17.48	11.44			28.92
4	4	201.16	88.51	222.41			512.08
5	5	180.18	96.76	199.48			476.42
6	6	281.92	141.52	292.29			715.73
7	7	498.00	236.60	550.34			1284.94
8	9	542.18	256.04	590.65			1388.87
9	10	52.94	23.29	58.05			134.28
10	12	113.92	50.12	75.88	68.63		308.55
11	14	157.76	124.94	106.69	57.32		446.71
12	17	256.479	76.696	38.059	66.080	25.682	463.00
13	18	96.520	15.863	6.491	12.942	10.997	142.81
14	19	32.639	64.726	116.027	60.566	14.796	288.75
15	20	15.023	74.905	108.301	18.437	264.069	480.74
16	21	18.971	32.832	51.581	27.948	17.602	148.93
17	22	54.789	25.628	38.443	67.241	192.119	378.22
18	24	339.233	117.070	180.540	257.705		894.55
19	25	75.222	6.480	9.720	92.318		183.74
20	26	103.965			127.593	94.927	326.49
21	27	34.774	3.761	5.642	58.018	87.191	189.39
22	28	46.555	5.830	9.620	59.776	168.631	290.41
23	29	103.630	15.502	36.020	127.182	183.305	465.64
24	30	84.678	40.602	70.746	103.923		299.95
25	31	110.324			135.397	87.734	333.46
26	32	263.413	10.110	15.164	278.946		567.63
27	42	21.916	14.839	6.233	29.487		72.48
28	44	1.311	11.126	13.952	22.300		48.69
29	45		33.877				33.88
30	46	15.965	50.766	16.511			83.24
Total		**3925.90**	**1781.59**	**3064.01**	**1671.81**	**1147.05**	**11590.36**

11590.36 @ 110/- = 1274939.60

11590.36 @ 194.50/- = 2254325.02

Difference= ₹ 979385.42 say ₹ 9.80 lakh

penalty= 979385.42 X 5= 4896927.10 plus 200000/-= 5096927.1

say ₹ 50.96 lakh

भाग-II (ब)

प्रस्तर 3: अनुबंध की शर्तो के विपरीत/वित्तीय नियमो के विपरीत कार्य पूर्ण न होने के बावजूद कार्य की सुरक्षा जमा के रूप में ठेकेदार के बिलों से ं 3.30 करोड़ कम वसूल किया जाना तथा ली गयी बैंक गारंटी का नवीनीकरण ना करवाया जाना।

बैंक गारण्टी विभाग के पास ठेकेदार के विरूद्ध Security Deposit के रूप में रहती है, जो कार्य की सुरक्षा की दृश्टि से अत्यंत आवष्यक है। यदि ठेकेदार कार्य को उचित ढंग से नहीं करता है, या विभाग को हानि पंहुचाता है, तो बैंक गारण्टी खण्ड/विभाग के पास ठेकेदार के विरुद्ध Security Deposit के रूप में उपलब्ध रहती है, जिसके द्वारा ठेकेदार द्वारा की गई हानि की दषा में ठेकेदार से वसूली की जा सके।

कार्य के अनुबंध के गठन के समय एवं शासनादेश के अनुसार बैंक गारंटी के रूप में कुल अनुबंधित राशि का 5 परसेंट परफारमेन्स सिक्यूरिटी तथा 10.43 करोड़ Additional Performance Security के रुप में के रूप में ठेकेदार से लिया जाना था जिसमें से 8.78 करोड़ ठेकेदार के बिलों से काटी जानी थी जिसे कार्य पूर्ण होने के पश्चात defect liability period तक सिक्यूरिटी के रूप में रखा जाना था

कार्य से सम्बन्धित बैक गारण्टी की जांच में पाया गया कि कार्य के सापेक्ष Performance Security के उद्देष्य से ली गई, बैंक गारण्टी नं0-44511LG000116 की वैधता 13.11.2020 तक है, जिसे लेखापरीक्षा तिथि तक नवीनीकरण नहीं करवाया गया था तथा अन्य बैंक गारण्टी नं0-44511LG000115 की वैधता 03.09.2020 तक थी। जिसे 03.09.2020 के पष्चात नवीनीकरण नही करवाया गया था जबकि प्रोजेक्ट का कार्य पूर्ण नहीं हुवा था। साथ ही ठेकेदार के बिलों से Additional Performance Security Deposit राशि भी ं 2.36 करोड़ मात्र ही काटी गयी थी।

प्रकरण इंगित किये जाने पर खंड द्वारा उत्तर दिया गया कि ठेकेदार को बैंक गारंटी नवीनीकरण के लिए पत्र लिखा गया है ठेकेदार को किये गए भुगतान में प्रत्येक देयक से पॉच परसेंट धनराशि वर्तमान तक ₹ 23648078 डिपाजिट में जमानत के रूप में उपलब्ध है अभी प्रोजेक्ट कम्पलीट नहीं हुवा है प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट अभी जारी नहीं हुयी है

खंड को Additional Performance Security जमा के रूप में ं 8.78 करोड़ की ठेकेदार के बिलों से कटौती की जानी थी परन्तु खंड के उत्तर से स्पष्ट है कि खंड द्वारा मात्र 2.36 करोड़ की कटौती ही की गयी तथा प्रोजेक्ट का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। जमा Bank Guarantee की Validity भी समाप्त हो चुकी थी, तथा खण्ड द्वारा Additional Performance Security जमा के रुप में ठेकेदार के बिलों से ₹ 33036125/- पूरी कटौती भी नहीं की गयी है जबकि यह धनराशी कार्य के defect liability period तक सिक्यूरिटी के रूप में रखी जानी थी

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है

भाग-II (ब)

प्रस्तर 4: विविध अग्रिम हेतु प्रदत्त धनराशि ं 14.97 लाख की वसूली लम्बित रहना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 578 के अनुसार विविध अग्रिम को निम्न चार श्रेणियों मे विभाजित किया गया है (1) उधार विक्रय (2) डिपॉजिट मद मे प्राप्त राशि से अधिक व्यय (3) हानि, त्रुटि के कारण हानि,आदि (4) अन्य मद मे, किसी भी प्रकार से शासकीय हानि, इन सभी प्रकरणो मे अधिकारियों /कर्मचारियो /फर्मो/ठेकेदारो /अन्य विभागो के विरुद्ध विविध अग्रिम डाला जाता है एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 584 के अनुसार इन सभी मदो में विविध अग्रिम की धनराशि की वास्तविक वसूली की जानी चाहिए या किसी कारण से वसूली न हो पाने की दशा मे सक्षम अधिकारी के आदेश से जब तक बट्टे खाते मे न डाला जाए तब तक विविध अग्रिम लेखे से न हटाया जाए।

कार्यालय की विविध अग्रिम पंजिका के अवलोकन मे पाया गया कि कार्यालय द्वारा माह 10/2020 तक कुल ं 14,15,434.00 का विविध अग्रिम दिया गया था जिसकी वसूली लेखापरीक्षा तक(10/2020) लम्बित थी। जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैं-

क्रम स0	नाम	कुल धनराशि	कब से
1	श्री उत्तम सिंह, ठेकेदार	17998	2/95
2	उ0प्र0 वन निगम, देहरादून	8090	3/96
3	जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल	58470	5/96
4	पुलिस अधीक्षक, नई टिहरी	37205	5/96
5	अधि0अभि0, वि0यां0 खंड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश	93077	9/96
6	अधि0अभि0, वि0यां0 खंड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश	158081	12/96
7	अधि0अभि0, अ0ख0, लो0नि0वि0, घनसाली	2376	9/98
8	अधि0अभि0, वि0यां0 खंड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश	62625	12/98
9	अधि0अभि0 जल निगम, नई टिहरी	1698.65	5/99
10	अधि0अभि0, प्रा0खंड, भटवाडी	30778	6/99
11	अधि0अभि0, वि0यां0 खंड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश	41109	6/00
12	यू0पी0 वन निगम, देहरादून	16464	9/01
13	अधि0अभि0, वि0यां0 खंड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश	90000	2/02
14	वन विकास निगम देहरादून	44496	5/00
15	वन निगम, देहरादून	48384	5/02
16	यातायात पर्यटन विकास निगम नई टिहरी	87	11/03
17	अधि0अभि0 टिहरी बांध खंड-22 नई टिहरी	783756	11/07
18	श्री प्रमोद सिंह राणा	1000	2014

19	श्री अक्षेवर सिंह, जे0ई0	1250	12/94
	कुल	**1496945**	

उक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि समायोजन की कार्यवाही की जा रही हैं एवं पत्राचार किया जा रहा हैं। कुछ सरकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण हुआ हैं जिनसे वसूली हेतु पत्राचार किया जा रहा हैं। खंड का उत्तर मान्य नही हैं क्योकि कई वर्षों के पश्चात भी अग्रिम की वसूली नही की गयी।

अत: विविध अग्रिमों धनराशि ₹ 14.97 लाख की वसूली लम्बित रहने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग-II (ब)

प्रस्तर 5: कार्य समय पर पूर्ण न होने के उपरान्त भी ं 1.80 लाख + GST का अर्थदण्ड वसूल न किया जाना एवं कार्य का बीमा न किया जाना।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर मे डोबरा-चांठी भारी वाहन सेतु के पहुँच मार्ग का सुदृढीकरण/ डामरीकरण पुल के दोनों ओर वाहनों के नियंत्रित संचालन हेतु अतिरिक्त पक्की लेन का निर्माण एवं डोबरा की ओर टर्निग प्वाइंट हेतु पहाड़ कटान कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु शासनादेश संख्या-847(I)/II(2)/20-46 (सामान्य)/2013 टी0सी0 दिनांक-21.05.2020 द्वारा स्वीकृत लम्बाई 1.948 किमी0 लागत ं 364.983 लाख की प्राप्त हुई हैं।

मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी के पत्रांक संख्या-1112/08 याता-(डोबरा-चांठी)-पौड़ी/2019 दिनांक-28.05.2020 द्वारा ं 364.98 लाख की कार्य की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

उक्त कार्य हेतु प्रशासनिक एवं प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व ही अधीक्षण अभियंता, 8वां वृत, लो0नि0वि0, नई टिहरी के पत्र संख्या-434/07 कैश-टेण्डर-8/2019-20 दिनांक-27.01.2020 द्वारा निविदा आमंत्रित की गई। जिसे ई-निविदा के माध्यम एवं समाचार पत्र दैनिक जागरण मे दिनांक-04.02.2020 को आमंत्रित की गयी। कुल दो निविदा प्राप्त हुई एवं हिल व्यू कन्स्ट्रकशन एवं श्री विनोद प्रसाद बिजल्वान (JV) को न्यूनतम निविददाता होने के कारण चयन किया गया। न्यूनतम निविदा की लागत ं 3,08,49,026.40 मात्र (Exclusive of GST) थी। समिति द्वारा न्यूनतम निविदा एवं GST प्रचलित दर 12% ं 37,01,883.17 मात्र के साथ कुल ं 3,45,50,909.57 की उक्त निविदा की स्वीकृति प्रदान की गयी।

अनुबंध के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की तिथि दिनांक-20.06.2020 एवं समाप्ति की तिथि 19.10.2020 थी।

खंड के अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि कार्य पूर्ण हेतु निर्धारित तिथि समाप्त होने के पश्चात भी कार्य लेखा परीक्षा तिथि (10/2020) तक अपूर्ण था तथा समय वृद्धि भी स्वीकृति नही थी कार्य की धीमी प्रगति के संबंध मे खंड द्वारा अपने पत्रांक दिनांक-15.09.2020, 06.08.2020, 14.07.2020 के माध्यम से ठेकेदार को कार्य की प्रगति बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया था।

इस संबंध मे GCC 46.1 के अनुसार "The liquidated damages for the whole of the works are (1/2000)th of the initial contract price rounded off to the nearest thousand, per day. The maximum amount of liquidated damages for the whole of the works is 10% of the initial contract price.

GCC के Section-13 के अनुसार कार्य शुरू करने से Defect liability Period तक समय तक का बीमा(Insurance) ठेकेदार/विभाग द्वारा करवाया जाना चाहिए था इस संबंध मे प्रमुख अभियंता/विभागाध्यक्ष द्वारा भी अपने पत्रांक दिनांक-19 अगस्त 2015 को निर्देशित किया गया था। अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि ठेकेदार या विभाग द्वारा कोई भी बीमा नही करवाया गया जबकि इस संबंध मे खंड द्वारा पत्रांक-762/6सी दिनांक-06.07.2020 को ठेकेदार को भी अवगत किया गया था कि बीमा की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जाये।

उक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि

1. प्रशासनिक एवं प्राविधक स्वीकृति से पूर्व ही निविदा शासन के निर्देश से की गयी थी।
2. अभी तक समयवृद्धि स्वीकृत नही की गयी हैं।
3. ठेकेदार द्वारा बीमा(insurance) के संबंध मे कोई साक्ष्य उपलब्ध नही कराये गए हैं इस संबंध मे खंड द्वारा ठेकेदार को पत्र लिखा गया हैं। खंड द्वारा भी कार्य का बीमा नही किया गया।

खंड का उत्तर मान्य नहीं हैं क्योकि प्रशासनिक एवं प्राविधक स्वीकृति से पूर्व ही निविदा आमंत्रित की गयी। शासन का पत्र लेखापरीक्षा को उपलब्ध नही कराया गया। कार्य की समयवृद्धि स्वीकृत नही की गयी हैं इसलिए लेखापरीक्षा तिथि (10/2020) तक ₹ 1.80 लाख + GST[1] का अर्थदण्ड वसूलनीय हैं। कार्य का न तो ठेकेदार द्वारा बीमा किया गया न ही खंड द्वारा। जबकि ठेकेदार द्वारा बीमा नही किए जाने पर खंड द्वारा बीमा किया जाना चाहिए था एवं Premium की वसूली ठेकेदार के बिल से की जानी चाहिए थी।

अत: प्रशासनिक एवं प्राविधक स्वीकृति से पूर्व ही निविदा आमंत्रित किए जाने, कार्य समय पर पूर्ण न किए जाने के कारण ₹ 1.80 लाख + GST का अर्थदण्ड वसूल न किए जाने एवं बीमा (insurance) नहीं किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता

[1] 3,08,49,026*1/2000 = 15424 (Rounded of to nearest 1000)
15000*12days = 180000 +GST

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरका विवरण	
		भाग –II (अ)	भाग –II (ब)
1.	49/95-96	1	4
2.	05/96-97	-	1,2,3
3.	72/97-98	-	2,3
4.	92/98-99	1	-
5.	138/99-2000	1	-
6.	34/01-02	1,2	3
7.	12/02-03	1,2,3	4,5
8.	12/08-09	4	-
9.	71/10-11	2	-
10.	83/11-12	-	3
11.	83/12-13	1	1
12.	63/15-16	1,2,3	1
13.	83/16-17	-	1,2
14.	44/17-18	1	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
कार्यालय द्वारा अनिस्तारित प्रस्तरोंकी अद्यतन आख्या उच्चाधिकारियों की संस्तुति सहित प्रस्तुत नहीं किया गया।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V
आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी** के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

2. सतत् अनियमितताएः
   (i) शून्य
3. विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक की अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
(i)	श्री कुवरसिंह असवाल	अधिशासी अभियन्ता	04.10.2014 से 14.01.2019
(ii)	श्री गौरव थपलियाल	अधिशासी अभियन्ता	15.01.2019 से 03.02.2019
(iii)	श्री कुवरसिंह असवाल	अधिशासी अभियन्ता	04.02.2019 से 01.07.2019
(iv)	श्री नारायण सिंह खोलिया	अधिशासी अभियन्ता	02.07.2019 से 18.08.2019
(v)	श्री कुवरसिंह असवाल	अधिशासी अभियन्ता	19.08.2019 से 18.10.2019
(vi)	श्री नारायण सिंह खोलिया	अधिशासी अभियन्ता	19.10.2019 से 17.12.2019
(vii)	श्री सुरेन्द्र सिंह मखलोगा	अधिशासी अभियन्ता	17.12.2019 से वर्तमान तक।

4. विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक निम्न खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंध रहे।
   (i) श्री विनोद कुमार खण्डीय लेखाधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ए.एम.जी-2 (Non-PSUs) कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून- 248195 को प्रेषित कर दी जाए।

व. लेखापरीक्षा अधिकारी
ए.एम.जी.-II (Non-PSUs)